मौसम

तापमान	नई दिल्ली	
अधिकतम–32.6 डि.से.		सूर्योदय– 6:04
न्यूनतम– 24.0 डि.से.		सूर्यास्त– 18:32

फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़

प्रबंधक समेत 12 महिलाएं गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 सितंबर।

दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर साइबर सेल दक्षिणी जिला पुलिस ने उसके प्रबंधक सहित 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरोह नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करते थे। दिल्ली पुलिस ने कम से कम 300 बेरोजगार पुरुषों और महिलाओं को नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे कथित तौर पर ठगी करने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया है। इस गिरोह में 12 युवतियां शामिल पाई गई हैं। इन्हीं से बेरोजगारों को फोन कराया जाता था।

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि नेब सराय के देवली इलाके में यह कॉल सेंटर पिछले तीन महीने से चल रहा था।

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) अतुल कुमार ठाकुर ने कहा कि हमें देवली रोड पर राजू पार्क में फर्जी कॉल सेंटर चलने की सूचना मिली और गुरुवार को वहां छापा मारा। पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी विभिन्न वेबसाइट से लिए गए नंबरों के जरिए पीड़ितों को फोन करके यह पुष्टि करते थे कि क्या उन्हें अब भी नौकरी की जरूरत है। इसके बाद वे उन्हें बैंकों, एयरलाइनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य क्षेत्रों में विभिन्न फर्जी पदों के बारे में सूचित करते थे तथा उन्हें नौकरियां बताते थे।

नौकरी का झांसा देकर करते थे ठगी
तीन सौ से ज्यादा बेरोजगारों को अबतक दिया था झांसा
दो हजार रुपए लेते थे शुल्क

उन्होंने कहा कि वे हर उम्मीदवार से 2,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस मांगते थे। जब वे फीस देने को तैयार हो जाते तो उन्हें एसएमएस के जरिए बैंक की जानकारियां दे दी जाती और एक बार खाते में पैसा आने के बाद उनसे कभी बात नहीं की जाती थी। उनके पास से 19 मोबाइल फोन, 14 रजिस्टर और आवेदकों तथा उनके भुगतान की जानकारियों तथा वाली कॉपियां बरामद की हैं। मामले की तफ्तीश की जा रही है।

कोरोना के मामले कम हुए, सिर्फ सौ प्रतिबंधित क्षेत्र बचे हैं

दक्षिणी दिल्ली में सबसे अधिक 29 इलाकों में पाबंदी जारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 सितंबर।

कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनियों के बीच दिल्ली वालों के लिए राहत की बात यह है कि अब दिल्ली के इलाकों में बने छोटे-छोटे निषेध क्षेत्र (सील क्षेत्र) से आजादी मिल रही है। मामलों में कमी आने के बाद अब दिल्ली में ऐसे सील क्षेत्रों की संख्या घटकर केवल 100 रह गई है। हालांकि आठ सितंबर तक की सरकारी रिपोर्ट में यह आंकड़ा गिरकर 99 क्षेत्रों तक आ गया था। दक्षिणी दिल्ली में सबसे अधिक प्रतिबंधित क्षेत्र हैं।

दिल्ली में सरकार ने संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए यह निषेध क्षेत्र बनाए थे। इन क्षेत्रों में लोगों की चहल-पहल की मनाही थी ताकि इस संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके। आठ सितंबर 2021 तक की सरकारी रिपोर्ट बताती है कि इस समय दिल्ली में उत्तर पूर्व व मध्य जिला ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पर एक भी निषेध क्षेत्र नहीं बचा है, जबकि सबसे अधिक निषेध क्षेत्र वाले इलाकों में दक्षिणी दिल्ली शामिल हैं। यहां पर सील क्षेत्र की संख्या 29 है। इस रिपोर्ट में दूसरे नंबर पर पश्चिम व शाहदरा जोन क्षेत्र हैं। जहां पर अभी 14-14 सील क्षेत्र हैं। इसी प्रकार उत्तर में 9, नई दिल्ली में 12, उत्तर पश्चिम में 13, दक्षिण पश्चिम 3, दक्षिण पूर्व में 2 और पूर्व में ऐसे 3 तीन क्षेत्र हैं।

अब तक आई कोरोना की लहर से आम जनता को बचाने के लिए अब तक दिल्ली में कुल 87453 इलाकों को निषेध क्षेत्र बनाने की आवश्यकता पड़ी है। इनमें से कुल 87453 को इस श्रेणी से बाहर लाया जा चुका है।

चौबीस घंटे में 36 मामले, कोई मौत नहीं

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली 10 सितंबर।

दिल्ली में कोरोना के 36 नए मामले दर्ज किए गए। राहत भरी खबर यह है कि किसी व्यक्ति की जान नहीं गई। वहीं, 52 लोगों को ठीक होने के बाद अस्पताल से घर भेज दिया गया। दिल्ली सरकार से की ओर से जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में शुक्रवार को 76,883 लोगों की जांच की गई जिनमें से संक्रमण दर 0.05 फीसद रहा। वहीं दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में 251 लोग अभी भी भर्ती हैं। घरों में इस बीमारी के कारण 105 लोग एकांतवास में रह रहे हैं।

उच्च न्यायालय ने अनुग्रह राशि की मांग वाली याचिका पर मांगा जवाब

नई दिल्ली, 10 सितंबर (भाषा)।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोविड-19 से अपने पति की मौत होने को लेकर अनुग्रह राशि की मांग करने वाली 43 वर्षीय एक महिला की याचिका पर केंद्र सरकार से शुक्रवार को जवाब मांगा। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने याचिका पर नोटिस जारी किए। अदालत ने केंद्र के साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) से भी जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसके पति की मई में कोविड-19 से मौत हो गई थी। याचिका में कहा गया है कि यह एनडीएमए का सांविधिक कर्तव्य और संवैधानिक दायित्व है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल सरकार को दी मोहलत

दो सप्ताह में गरीबों से किया वादा पूरा करने का लेना होगा फैसला

नई दिल्ली, 10 सितंबर (भाषा)।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस घोषणा को लागू करने पर फैसला करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई गरीब किरायेदार कोविड-19 महामारी के दौरान किराया देने में असमर्थ है, तो सरकार इसका भुगतान करेगी। दिल्ली सरकार के वकील गौतम नारायण ने न्यायमूर्ति रेखा पल्ली से कहा कि मामला विचाराधीन है।

उन्होंने इस संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये दो सप्ताह का समय मांगा है। दरअसल, अदालत ने दिल्ली सरकार को इस मामले पर छह सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया था, लेकिन सरकार आदेश पर अमल नहीं कर पाई। इसके बाद इस संबंध में सरकार पर जानबूझकर अदालत की अवमानना का आरोप लगाते हुए एक याचिका दाखिल की गई, जिसपर न्यायमूर्ति पल्ली सुनवाई कर रही थीं।

अदालत ने 22 जून को फैसला सुनाया था कि मुख्यमंत्री के इस वादे पर अमल किया जाना चाहिए। उसने आम आदमी पार्टी सरकार को केजरीवाल की घोषणा पर छह सप्ताह के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया था।

दैनिक वेतन भोगी और श्रमिक होने का दावा करने वाले याचिकाकर्ताओं ने पिछले साल 29 मार्च को संवाददाता सम्मेलन के दौरान केजरीवाल द्वारा किए गए वादे को लागू करने की मांग की है। अधिवक्ता गौरव जैन के माध्यम से दाखिल की गई याचिका में कहा गया है, ''6 सप्ताह की समयसीमा 02.09.2021 को समाप्त हो गई। लेकिन, दिल्ली सरकार ने अभी तक उपरोक्त निर्देश का पालन नहीं किया है।

मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री को कोरोना के इलाज के लिए भारत लाया गया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 सितंबर।

मॉरिशस के पूर्व प्रधामंत्री नवीन रामगुलाम को इलाज के लिए भारत लाया गया है। उन्हे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है। उन्हें कोरोना संक्रमण है। उनके साथ उनकी पत्नी व बच्चे भी हैं। सूत्रों के मुताबिक उनकी हालत स्थिर है। एम्स निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया की अगुआई में डॉ अंजन त्रिखा, डा नीरज निश्चल, डा नवीत विग का दल उनके इलाज व देखभाल का काम कर रहा है।

रामगुलाम को गुरुवार को हवाई एंबुलेंस से दिल्ली लाया गया। सूत्रों ने बताया कि उनके आने से पहले उन्हें यहां भर्ती किए जाने की बावत सभी तरह के जरूरी तालमेल किए गए।

आगमन गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेश की प्रतिमा को ढोल-नगाड़े के साथ घर ले जाते लोग।

'सड़कों पर अतिक्रमण रोकने की जिम्मेदारी निगम व पुलिस की'

नई दिल्ली, 10 सितंबर (भाषा)।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि सड़कों या पैदल चलने के मार्ग पर कोई अतिक्रमण नहीं हो, इसकी जिम्मेदारी नगर निगम और दिल्ली पुलिस की है। अदालत ने अधिकारियों को मुनिरका गांव और मेट्रो स्टेशन के आसपास के क्षेत्र को साफ करने का भी निर्देश दिया।

मुनिरका ग्राम निवासी कल्याण संघ की याचिका पर अदालत सुनवाई कर रही थी जिसमें दावा किया गया था कि गांव में और उसके आसपास तथा मुनिरका मेट्रो स्टेशन के करीबी क्षेत्र में तेजी से अतिक्रमण बढ़ रहा है।

उच्च न्यायालय ने दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि क्षेत्र की सफाई के बाद यहां अतिक्रमण नहीं होना चाहिए।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिह की पीठ ने कहा, 'हमारे विचार से यह नगर निगम और दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है कि सड़क या पैदल चलने के रास्ते पर कोई अतिक्रमण नहीं हो।'

पीठ ने अधिकारियों का इलाके की तस्वीरों के साथ स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

शिक्षकों के एक वर्ग को जेएनयू के कुलपति ने कहा

जमीनी हकीकत से अनजान हैं आलोचक

नई दिल्ली, 10 सितंबर (भाषा)।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के कुलपति एम जगदीश कुमार ने शुक्रवार को शिक्षकों के एक वर्ग को 'जमीनी हकीकत से अनजान आलोचक' करार दिया, जिन्होंने कार्यकारी परिषद की बैठकों में पर्याप्त चर्चा के अभाव का आरोप लगाया था।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में निर्णय सांविधिक निकायों द्वारा सामूहिक रूप से लिए जाते हैं और उनकी आलोचना से इसकी छवि प्रभावित हो रही है। कुलपति की यह टिप्पणी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (जेएनयूटीए) के आरोपों के मद्देनजर आई है कि कार्यकारी परिषद की बैठकों में कोई महत्त्वपूर्ण चर्चा नहीं होने दी गई। शिक्षक निकाय ने विश्वविद्यालय में एक मेडिकल स्कूल स्थापित करने के निर्णय के अनुमोदन की भी आलोचना की।

आलोचनाओं का जवाब देते हुए कुमार ने कहा कि मेडिकल स्कूल की स्थापना हो या आतंकवाद विरोधी पाठ्यक्रम पेश किया जाना हो, जिन निर्णयों की आलोचना की जा रही है उन सभी पर अकादमिक परिषद और कार्यकारी परिषद द्वारा चर्चा की गई है। उनकी कोई भी आलोचना निराधार है।

उन्होंने कहा कि स्कूल ऑफ मेडिसिन की स्थापना के लिए काफी जमीनी काम किया गया है और यह विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप है। जेएनयूटीए ने आरोप लगाया है कि कार्यकारी परिषद की बैठक में नए स्नातक कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए मंजूरी दी गई है, जिससे विश्वविद्यालय का स्नातकोत्तर शोध चरित्र नष्ट हो जाएगा।

दिल्ली सरकार ने आयोजित कराया सार्वजनिक गणेशोत्सव, सोशल मीडिया पर हुआ सजीव प्रसारण

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 सितंबर।

कोरोना काल में सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति न होने के कारण गुरुवार को दिल्ली सरकार की ओर से यमुना किनारे गणेश चतुर्थी का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य शामिल रहे।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व सुनीता केजरीवाल गणेश की प्रतिमा के साथ मंच पर आए और उन्होंने मंत्रों के बीच भगवान का पूजन किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम सभी को अपने बच्चों को भारत में गणेश चतुर्थी उत्सव के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताना चाहिए और उनमें आध्यात्मिकता और देशभक्ति के मिश्रण को विकसित करना चाहिए। इस दौरान प्रख्यात गायक शंकर महादेवन और सुरेश वाडेकर ने अपनी प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया।

भव्य पूजन कार्यक्रम का आयोजन सिग्नेचर ब्रिज के पास यमुना के किनारे किया गया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली समेत सभी देशवासियों को श्री गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान गणपति सभी के जीवन में सुख, समृद्धि एवं खुशियां बनाए रखें। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने पुणे में पहली बार सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव मनाया। आगे चलकर उनकी वह कोशिश एक आंदोलन बनी और स्वतंत्रता आंदोलन में इस गणेशोत्सव ने लोगों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई।

इस दौरान उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी, कैबिनेट मंत्री गोपाल राय, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन, समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल और उपाध्यक्ष राखी बिड़लान आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे।

कांग्रेस ने दिल्ली सरकार की ओर से आयोजित गणेशोत्सव पर सवाल खड़ा करते हुए इसे कोरोना नियमों का उल्लंघन बताया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व विधायक व मुख्यमंत्री के संसदीय सचिव अनिल भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सरकार केवल गोवा चुनाव की वजह इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उन्होंने कहा कि पूजा की मनाही होने के बावजूद मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ सरकारी खर्चे पर आरती का गोवा के टीवी चैनल पर सीधा प्रसारण करके धर्म के नाम पर आडंबर कर रहे हैं।

विजय गोयल ने गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष का पदभार संभाला

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 सितंबर।

पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता विजय गोयल ने गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति में उपाध्यक्ष पद का पदभार संभाला। वे सुबह तीस जनवरी मार्ग पर स्थित कार्यालय पहुंचे, जहां उनके साथ भाजपा संगठन महामंत्री बीएल संतोष के भी उपस्थित थे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी के बलिदान स्थल पर सभी ने पुष्पांजलि अर्पित की।

बीएल संतोष ने कहा कि इस संस्था के अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री हैं। उसका उपाध्यक्ष बनना एक तरफ सौभाग्य की बात है, तो दूसरी तरफ बड़ी चुनौती भी है। प्रधानमंत्री स्वयं बहुत परिश्रम करते हैं और अन्य लोगों से भी ऐसी अपेक्षा रखते हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत सक्रिय राजनेता हैं, चुनौतियों पर खरा उतरेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हमें महापुरुषों की स्मृति में केवल मूर्ति लगाकर और प्रदर्शनी आयोजित कर उनको श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि के कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रखना है, अपितु उनके आदर्शों को अपने जीवन में चरितार्थ करना है और घर-घर तक पहुंचाना है।

पद ग्रहण करने के बाद विजय गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया।

पंजाब नैशनल बैंक pnb punjab national bank
.....भरोसे का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) ...the name you can BANK upon!

सर्किल सस्त्र सेंटर :पूर्वी दिल्ली, पॉकेट-ई, मयूर विहार फेज-II, दिल्ली-110091 ई-मेल : cs8075@pnb.co.in

कर्जदार के मामले में अचल सम्पत्ति हेतु कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की वित्तीय अस्तियों एवं प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में पंजाब नैशनल बैंक, सर्किल सस्त्र सेंटर : पूर्वी दिल्ली (पूर्व की आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा) सीएससी प्रथम तल, पॉकेट-ई, मयूर विहार फेज-II, दिल्ली का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते श्रीमती शीला देवी पत्नी रामेश्वर डी शर्मा (कर्जदार) पता : 1445/22ए/3 एसटी. नं. 10, गांधी मार्ग, दुर्गापुरी शाहदरा, उत्तरी-पूर्वी दिल्ली-110093 से कथित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित 31.03.2021 तक राशि रु. 48,85,461.60/- (रुपये अड़तालीस लाख पिचासी हजार चार सौ इकसठ एवं साठ पैसे मात्र) तथा भावी ब्याज, व्यय एवं अन्य प्रभारों आदि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए 03.04.2021 को एक माँग सूचना जारी की थी।

कर्जदार/जमानती के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार/जमानती को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर 9 सितम्बर, 2021 को कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदारों एवं जमानतियों तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्तियों से किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार 31.03.2021 तक राशि रु. 48,85,461.60/- (रुपये अड़तालीस लाख पिचासी हजार चार सौ इकसठ एवं साठ पैसे मात्र) तथा उस पर भावी ब्याज, व्यय एवं अन्य प्रभारों आदि के लिए पंजाब नैशनल बैंक, सर्किल सस्त्र सेंटर : पूर्वी दिल्ली (पूर्व की आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा) सीएससी प्रथम तल, पॉकेट-ई, मयूर विहार फेज-II, दिल्ली के प्रभार का विषय होगा।

अचल सम्पत्तियों का विवरण :

सम्पत्ति सं. 427-428, विक्रम एन्कलेव, मेन वजीराबाद रोड, मेन भोपुरा चौक, ग्राम पसौंदा, परगना लोनी तहसील एवं जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) का इक्विटेबल बंधक।
सीमाएँ : पूर्व : चन्द्र शेखर की सम्पत्ति, पश्चिम : गजराज सिंह पुत्र हृया की सम्पत्ति, उत्तर : हरा खुला तथा वजीराबाद रोड, दक्षिण : श्रीमती करुणा शर्मा की सम्पत्ति।

दिनांक : 09.09.2021 अधिकृत प्राधिकारी
स्थान : दिल्ली पंजाब नेशनल बैंक

PHD CHAMBER
OF COMMERCE AND INDUSTRY

PHD CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
Corporate Identity Number (CIN): U74899DL1951NPL001947
Registered Office: PHD House 4/2 Siri Institutional Area
August Kranti Marg New Delhi-110016
Telephone No.: 91-11-49545454
Website: www.phdcci.in **Email ID:** vivek.seigell@phdcci.in

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

1. Notice is hereby given that the Annual General Meeting ("AGM") of the Members of PHD Chamber of Commerce and Industry ("Chamber") will be held on Thursday, September 30, 2021, at 05:45 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM"), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and the rules made there under read with the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020 and January 13, 2021 (collectively referred to as "MCA Circulars"), to transact the businesses as contained in the Notice convening the AGM ("AGM Notice").

   The Chamber has engaged the services of the Central Depository Services Ltd. ("CDSL") to provide with the services of remote e-voting and electronic voting ("Evoting") system. Members may access the same at www.evotingindia.com under shareholders/members login by using the remote E-voting credentials.

2. In accordance with the MCA Circulars, the Notice of AGM will be sent only through electronic mode to those members whose e-mail ids are registered with the Chamber.

3. The Notice of AGM will also be available on the website of the Chamber at www.phdcci.in and also at the website of CDSL at www.evotingindia.com. Further, members can join and participate in the AGM through VC/ OAVM facility only. The instructions for joining and manner of participation in the AGM will be provided in the Notice. Members attending the AGM through VC/ OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

4. **Manner of registering /updating email addresses:**

   Members who have not registered/updated their email addresses with the chamber are requested to get their email addresses and mobile numbers registered/updated with the Chamber, by sending email to Mr. Saurabh Sanyal, Secretary General, Chamber at sg@phdcci.in; Mr Vivek Seigell, Assistant Secretary General, Chamber at vivek.seigell@phdcci.in and managingcommittee@phdcci.in respectively.

By Order of the **Managing Committee of PHDCCI**
For **PHD Chamber of Commerce and Industry**
Sd/-
Saurabh Sanyal
Secretary General

Place: Delhi
Date: 10th September 2021